



उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, जिला-नैनीताल

संख्या : 788/01-I/2020

दिनांक: 21.08.2026

आदेश

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत पूर्व में गठित समिति से सम्बन्धित कार्यालय आदेश संख्या:- 1160/01-I/2020 दिनांकित 27.10.2025 को अतिक्रमित करते हुए अकादमी में **आन्तरिक शिकायत समिति** का गठन निम्नानुसार किया जाता है-

- | | |
|--|------------------|
| I. श्रीमती शादाब बानो, अपर निदेशक | -पीठासीन अधिकारी |
| II. श्रीमती सीमा बंगवाल, संयुक्त निदेशक (वित्त) | -सदस्य। |
| III. श्री कार्तिकेय जोशी, सहायक निदेशक | -सदस्य। |
| IV. श्रीमती कंचन भण्डारी, विमर्श संस्था-एन.जी.ओ. | -सदस्य। |

उपरोक्त **आन्तरिक शिकायत समिति** उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की सभी शिकायतों की जाँच, उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार करेंगी और कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए कार्य हेतु उपयुक्त व सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करेगी।

यह समिति निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी को उक्त के परिपेक्ष्य में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी।

उक्त गठित समिति 03 वर्ष अथवा अग्रिम आदेश तक कार्य करेगी।

(प्रदीप पन्त)
निदेशक

संख्या : /01-I/2020 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक (वित्त)/सहायक निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी।
2. श्रीमती कंचन भण्डारी, विमर्श संस्था, एन.जी.ओ. लेक व्यू कॉटेज, नैनीताल को जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र संख्या 138/20 न्या.सहा/2021 दिनांक 19.06.2021 के अनुक्रम में प्रेषित।
3. अकादमी नोटिस बोर्ड।

(गोविन्द बी. कापड़ा)
प्रशासनिक अधिकारी